प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला– ओ.पी. ए.सी.बी नागौर, थाना – प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो, जयपुर।
वर्ष–2023 प्र0इ0रि0 सं 14/23 दिनांक.. 5/4/2023

2. (I) अधिनियम :– धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018
(II) अधिनियम .....भा.दं.सं............. धारायें ....120 बी भा.दं.सं...................
(III) अधिनियम .... धारायें ....
(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....87 समय ....12:05 P.M.
(ब) अपराध घटने का दिन – मंगलवार, दिनांक 04.04.2023 समय 12.55 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ...03.04.2023...समय...... 10.30 ए.एम.......

4. सूचना की किस्म :– लिखित /मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :– तहसील कार्यालय, खींवसर, जिला नागौर।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– बजानिब दक्षिण–पश्चिम करीब 45 कि.मी.
(ब) बीट संख्या.........................जयरामदेही सं...
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....
6. (i) परिवादी :–
(अ) नाम – श्री पप्पू सिंह
(ब) पिता/पति का नाम – श्री हिम्मत सिंह
(स) जन्म तिथी– उम्र – 25 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता – भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या .... जारी होने की तिथि
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय – खेती
(ल) पता – निवासी ढिंगसरा, तहसील खींवसर, पुलिस थाना सदर नागौर, जिला नागौर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –
1. श्री कुलदीप विश्नोई पुत्र श्री पाबूराम जाति विश्नोई उम्र 25 वर्ष निवासी चकढाणी, पुलिस थाना मेड़ता रोड़ जिला नागौर हाल पटवारी, पटवार मण्डल ढींगसरा, तहसील खींवसर, जिला नागौर।
2. श्री सुरेश राम पुत्र श्री मंगलाराम जाति नाई उम्र 28 वर्ष निवासी दियावड़ी तहसील मूण्डवा जिला नागौर हाल प्राईवेट टाईपिस्ट तहसील खींवसर, जिला नागौर।
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–..............
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....
....
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य – 12,000/– रूपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित ....हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):–

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर।

विषय :– हल्का पटवारी ढिंगसरा श्री कुलदीप को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़वाने बाबत्।

महोदय,

निवेदन है कि मैं श्री पप्पू सिंह पुत्र श्री हिम्मत सिंह जाति राजपूत उम्र 25 वर्ष निवासी ढिंगसरा, तहसील खींवसर, पुलिस थाना सदर, नागौर, जिला नागौर का निवासी हूं। मेरे पिताजी

श्री हिम्मत सिंह जी व ताउजी श्री ईश्वर सिंह जी, श्री कानसिंह जी व चाचाजी श्री शक्ति सिंह जी के नाम से ग्राम ढिंगसरा में जमीन आई हुई है। इस वर्ष का फसल खराबा मुआवजा दिलवाने के लिए मैं ढिंगसरा पटवारी श्री कुलदीप से मिला तो पटवारी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के चार–चार हजार रूपये मुझे कमीशन के रूप में देने पड़ेगे, तब तुम्हारे दस्तावेज तैयार करूंगा तथा प्रत्येक के खाते में चौतीस–चौतीस हजार रूपये डालूंगा। खर्चा पानी नहीं देने पर मैं तुम लोगों का फसल खराबा मुआवजा पास नहीं करूंगा। मैं मेरे वाजिब काम के बदले पटवारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं, मैं रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। मेरी पटवारी से किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं है नहीं मेरा किसी प्रकार का उधार लेनदेन है। कानूनी कार्यवाही करावें।

दिनांक 03.04.2023

प्रार्थी
एसडी पप्पू सिंह
पप्पू सिंह पुत्र श्री हिम्मत सिंह
निवासी ढिंगसरा
मो.नं. 7014874767

कार्यवाही पुलिस

निवेदन है कि दिनांक 03.04.2023 को वक्त 10.30 ए.एम. पर उक्त लिखित तहरिर रिपोर्ट प्रार्थी श्री पप्पू सिंह पुत्र श्री हिम्मत सिंह जाति राजपूत उम्र 25 वर्ष निवासी ढिंगसरा, तहसील खींवसर, पुलिस थाना सदर, नागौर, जिला नागौर ने एसीबी चौकी नागौर पर उपस्थित होकर उपरोक्त हस्त लिखित रिपोर्ट श्रीमती सुशीला विश्नोई, पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश की। परिवादी की उक्त रिपोर्ट का अवलोकन कर उससे मजीद पूछताछ की गई तो परिवादी ने अवगत करवाया की दिनांक 02.04.2023 को मैं कुलदीप पटवारी से मिला और मेरे पिताजी, ताउजी व चाचाजी के खेतों में फसल खराबे का मुआवजा दिलवाने हेतु बातचीत की तो पटवारी ने मेरे से प्रत्येक के चार–चार हजार रूपये के हिसाब से कुल 16,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की। परिवादी की उक्त लिखित रिपोर्ट तथा मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत की मांग का पाया जानें पर रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से कार्यालय का वॉईस रिकॉर्डर अलमारी में से निकाल कर परिवादी श्री पप्पू सिंह को उसे ऑपरेट करने की समझाईस की गई तथा उसे समझाया की वह श्री कुलदीप पटवारी के पास जाकर अपने कार्य के संबंध में व लेन देन के सम्बन्ध में वार्ता करें तथा कार्यालय के श्री कुमरेदान कानिस्टेबल नम्बर 194 को तलब कर परिवादी से परिचय करवाते हुए रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के साथ जानें की हिदायत कर श्री कुमेरदान कानि. एवं परिवादी श्री पप्पू सिंह को कार्यालय का डिजिटल वॉयस टेप रिकॉर्डर देकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु ढिंगसरा के लिए रवाना किया जाकर हिदायत मुनासिब की गई। तत्पश्चात् वक्त 02.30 पी.एम. पर श्री कुमेरदान कानि. मय परिवादी श्री पप्पू सिंह के उपस्थित कार्यालय आये तथा वॉयस रिकॉर्डर श्रीमती सुशीला विश्नोई, पुलिस निरीक्षक को पेश कर परिवादी ने बताया कि एसीबी चौकी नागौर से हम मोटरसाईकिल से रवाना होकर अटल सेवा केन्द्र, ढिंगसरा पहूंचे, जहां पर अटल सेवा केन्द्र के सामने मैंने वॉयस रिकॉर्डर चालू कर पटवारी श्री कुलदीप से मिलने अटल सेवा केन्द्र के अन्दर गया जहां मुझे श्री कुलदीप पटवारी मिला, जिनसे मैने मेरे काम के सम्बन्ध में बातचीत की व उनके कहे अनुसार कितने रुपये देने के बारे में पूछने पर पटवारी श्री कुलदीप ने मुझे कहा कि चारों का चार–चार हजार के हिसाब से सोलह हजार रूपये बतौर कमीशन देने पड़ेगे, तब आपके खातों में चौतीस–चौतीस हजार रूपये जमा होंगे, जिस पर मैंने कुछ रूपये कम करने का निवेदन किया तो तीन–तीन हजार रूपये चारों के कुल बारह हजार रूपये कल दिनांक 04.04.2023 को देना तय हुआ है। इसके बाद मैं वहां से रवाना होकर आपके कानि0 श्री कुमेरदान को टेप रिकॉर्डर बन्द करके दे दिया। इसके बाद हम दोनो वहां से रवाना होकर यहां पर आ गये। जिस पर श्री कुमेरदान कानि. ने परिवादी के उपरोक्त कथनों की ताईद की। जिस पर वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया। परिवादी श्री पप्पू सिंह ने बताया कि पटवारी श्री कुलदीप के कहेनुसार उसको रिश्वत के रुपये कल देने है। इस पर परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कल सुबह वक्त 10.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु हिदायत कर रूखसत किया गया। श्रीमती सुशीला विश्नोई पुलिस निरीक्षक के दिनांक 04.04.2023 से दो दिवसीय ब्यूरो की कार्यप्रणाली से संबंधित प्रशिक्षण पूर्व से ब्यूरो मुख्यालय पर नियत होने से श्रीमान उप महानिरीक्षक महोदय, भ्र.नि.ब्यूरो, अजमेर को हालात निवेदन किये गये जिस पर श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो, अजमेर ने मन् पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान भ्र.नि.ब्यूरो, अजमेर को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु टीएलओ नियुक्त कर भ्र.नि.ब्यूरो, नागौर पहुंच अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जिस

पर निर्देशानुसार मन् पुलिस निरीक्षक दिनांक 04.04.2023 को वक्त 09.30 ए.एम. पर भ्र.नि.ब्यूरो, चौकी नागौर उपस्थित आया। श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि0 48 ने पूर्व में श्रीमती सुशीला विश्नोई पुलिस निरीक्षक द्वारा सुपुर्द सुदा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया। मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही शुरू की गई। ताबाद वक्त 10.00 ए.एम. पर परिवादी श्री पप्पू सिंह पुत्र श्री हिम्मत सिंह जाति राजपूत उम्र 25 वर्ष निवासी ढिंगसरा, तहसील खींवसर, पुलिस थाना सदर, नागौर, जिला नागौर कार्यालय हाजा में उपस्थित आया। जिस पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करते हुए श्री कुमेरदान कानि0 नं0 194 को दो स्वतन्त्र गवाहों की तलबी हेतु श्रीमान वाणिज्यिक कर अधिकारी, नागौर के नाम की तहरीर देकर कार्यालय संयुक्त आयुक्त राज्य कर, वृत नागौर के लिए रवाना किया गया। कुछ समय पश्चात् श्री कुमेरदान कानि. मय दो स्वतन्त्र गवाहान श्री पवन कुमार सोनी पुत्र श्री धनराज सोनी,जाति सोनी, उम्र 26 वर्ष, निवासी दांती बाजार, नागौर, पुलिस थाना कोतवाली नागौर, जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक, राज्य कर विभाग, वृत नागौर व श्री मनोज कुंकणा पुत्र श्री राजूराम जाति जाट उम्र 29 वर्ष, निवासी कूंकणो की ढाणी, अलाय, पुलिस थाना श्रीबालाजी, जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक, राज्य कर विभाग, वृत नागौर के उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट गवाहान श्री पवन कुमार व श्री मनोज कुंकणा को पढकर सुनाई गई तथा रिश्वत मांग सत्यापन की दर्ज वार्ता को वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर मुख्य–मुख्य अंश सुनाये गये। जिस पर उन्होनें सन्तुष्ट होकर स्वतन्त्र गवाह बनने की सहमति प्रदान की। ताबाद मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री पप्पू सिंह को रिश्वत में दी जानें वाली राशि पेश करने का कहने पर उसने अपने पास से 500–500 रूपये के 24 नोट कुल 12,000/– रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपनी जेब में से निकाल कर पेश किये, जिनका विवरण इस प्रकार है –

क्र.स.	नोट का प्रकार	नोट नम्बर
1	पांच सौ रूपये का एक नोट	0SH 451028
2	पांच सौ रूपये का एक नोट	2ND 269704
3	पांच सौ रूपये का एक नोट	7EA 244169
4	पांच सौ रूपये का एक नोट	9UH 909383
5	पांच सौ रूपये का एक नोट	2HF 825796
6	पांच सौ रूपये का एक नोट	7RK 492906
7	पांच सौ रूपये का एक नोट	3PP 882330
8	पांच सौ रूपये का एक नोट	5FG 378718
9	पांच सौ रूपये का एक नोट	6QW 825721
10	पांच सौ रूपये का एक नोट	7BA 751124
11	पांच सौ रूपये का एक नोट	5CB 119203
12	पांच सौ रूपये का एक नोट	2QG 395858
13	पांच सौ रूपये का एक नोट	9ES 695422
14	पांच सौ रूपये का एक नोट	8DL 310341
15	पांच सौ रूपये का एक नोट	2FW 313929
16	पांच सौ रूपये का एक नोट	2KR 025511
17	पांच सौ रूपये का एक नोट	3QT 948261
18	पांच सौ रूपये का एक नोट	4QU 020547
19	पांच सौ रूपये का एक नोट	2ND 877644
20	पांच सौ रूपये का एक नोट	0GR 232440
21	पांच सौ रूपये का एक नोट	0GQ 936582
22	पांच सौ रूपये का एक नोट	2LT 108988
23	पांच सौ रूपये का एक नोट	8BR 645329
24	पांच सौ रूपये का एक नोट	7GB 261463

कार्यालय अलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकालकर उपर्युक्त सभी नोटों पर कार्यालय के श्री भगवान सिंह, कनिष्ठ सहायक से हल्का–हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री पप्पू सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री पवन कुमार से लिवाई गई तो कोई आपतिजनक वस्तु/राशि नही मिली। श्री भगवान सिंह, कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 12,000/रूपये परिवादी श्री पप्पू सिंह के पहनी पेंट की साईड की दायीं जेब में रखवाये गये। परिवादी श्री पप्पू सिंह को बताया गया कि इन नोटों को तब तक नहीं छुए जब तक आरोपी रिश्वत की मांग नही करें तथा उसके द्वारा रिश्वत मांगने पर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोट अपनी जेब से निकाल कर उसे देवे तथा अपने कार्य से सम्बन्धित वार्ता करें। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने पर ट्रेप दल के सदस्यों को देखते हुए अपने सिर पर हाथ फेर कर ईशारा करें तथा मन् पुलिस निरीक्षक को मिस कॉल भी करें। यह भी ध्यान रखे कि आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद कहां रखता है या छुपाता है। दोनों गवाहों को भी निर्देश दिए गये कि यथा सम्भव परिवादी के आस–पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वती लेन–देन व इनके बीच होने वाली वार्ता को देखने व सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात् कार्यालय से एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी रंगहीन रहा। गिलास के इस रंगहीन घोल में श्री भगवान सिंह, कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुंलाबी हो गया। इस प्रकार दोनों गवाहों व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया का महत्व दृष्टान्त देकर समझाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को दुरूस्त अलमारी में रखवाकर गिलास के मिश्रण को बाहर फिंकवाया गया तथा कागज जिस पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया है उसे जलवाया जाकर गिलास व श्री भगवान सिंह, कनिष्ठ सहायक के हाथों को साबुन व पानी से साफ धुलवाये गये। समस्त ट्रेप दल सदस्यों के हाथ साफ धुलवाकर आवश्यक निर्देश दिए गये तथा ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों को साफ धुलवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाए गये। परिवादी श्री पप्पू सिंह को वक्त रिश्वत लेन–देन होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये कार्यालय के वॉयस टेप रिकार्डर को ऑपरेट करने की विधि समझाकर सुपुर्द किया गया। पृथक से फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की फर्द तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। वक्त 11.35 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी श्री पप्पू सिंह द्वारा अपने मोबाईल नम्बर 7014874767 से आरोपी श्री कुलदीप पटवारी के मोबाईल नम्बर 9636643821 पर लाउडस्पीकर चालू कर वार्ता की गई, जिसे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। दौराने वार्ता आरोपी श्री कुलदीप पटवारी ने बताया कि मैं तहसील कार्यालय, खींवसर में मिलूंगा, आप वहीं आ जाओ। जिस पर वक्त 11.45 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान मय परिवादी श्री पप्पू सिंह, स्वतंत्र गवाहान श्री पवन कुमार कनिष्ठ सहायक व श्री मनोज कुंकणा कनिष्ठ सहायक, ट्रेप दल के सदस्य सर्वश्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि. 48, श्री तुलछाराम हैड कानि. 94, श्री कुमेरदान कानि. 194, श्री नेमीचन्द कानि0 405, श्री राजेन्द्र झूरिया कानि. 150, श्री कानाराम कानि0 532 मय सरकारी वाहन मय चालक श्री सुरेन्द्र सिंह व एक प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु तहसील कार्यालय, खींवसर को रवाना हुआ। श्री भगवान सिंह, कनिष्ठ सहायक को कार्यालय में छोड़ा गया। समय 12.45 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री पप्पू सिंह, गवाहान श्री पवन कुमार कनिष्ठ सहायक व श्री मनोज कुंकणा कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप दल के सदस्यों के तहसील कार्यालय, खींवसर के पास पहुंचे, जहां सड़क पर एक साईड में दोनों वाहनों को खड़ा कर परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत देकर आरोपी से सम्पर्क करने हेतु तहसील कार्यालय, खींवसर के अन्दर रवाना कर कानि. श्री राजेन्द्र झूरिया को परिवादी के पिछे–पिछे रवाना किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान ट्रेप दल के सदस्य अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए तहसील कार्यालय के आस–पास खड़े होकर परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे का इन्तजार करनें लगे। ताबाद वक्त 12.55 पी.एम. पर परिवादी श्री पप्पूसिंह ने तहसील कार्यालय, खींवसर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत स्वीकृति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रेप दल के सदस्यों को साथ लेकर परिवादी के पास तहसील कार्यालय खींवसर परिसर में पहुंचा एवं परिवादी से वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त किया जो स्वीच ऑफ था, परिवादी ने बताया कि आरोपी अचानक सामने आने से मैं वॉयस रिकॉर्डर ऑन नहीं कर सका, जिस पर उक्त वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर चैक किया तो उसमें कोई वार्ता रिकॉर्ड होना नहीं पाया गया। परिवादी श्री पप्पू सिंह ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं श्री कुलदीप विश्नोई पटवारी से तहसील कार्यालय परिसर खींवसर में मुख्य गेट के पास मिला और मेरे काम के सम्बन्ध में बातचीत की एवं श्री कुलदीप

विश्नोई पटवारी द्वारा रिश्वत की मांग करने पर मैंने अपनी पेंट की जेब में से रिश्वत राशि निकालकर श्री कुलदीप विश्नोई पटवारी को देने लगा तो उसने मुझे रोकते हुए एक दूसरे व्यक्ति को फोन कर मेरी तरफ ईशारा करके कहा कि इससे पैसे ले लेना और मुझे ईशारा कर बताया कि वहां टेबल के पास बैठे व्यक्ति सुरेश को पैसे दे देना। यह कहकर पटवारी तहसील कार्यालय के अन्दर चला गया। मैंने पटवारी के बतायेनुसार उक्त व्यक्ति सुरेश को रिश्वत राशि दे दी तो उक्त व्यक्ति ने रिश्वत राशि लेकर पहनी हुई पेंट की बांई जेब में रख लिये। उसके बाद मैंने मुख्य गेट पर आकर सिर पर हाथ फेरकर आपको रिश्वत लेने का ईशारा कर दिया। मन् पुलिस निरीक्षक मय स्टाफ के साथ परिवादी को साथ लेकर तहसील कार्यालय परिसर खींवसर में बने टीनशेड के नीचे पहुंचे तो परिवादी ने एक व्यक्ति की तरफ ईशारा करके बताया कि मैंने पटवारी के बतायेनुसार इस व्यक्ति को अभी–अभी 12,000/– रूपये रिश्वत राशि दी है जो राशि लेकर अपनी पहनी पेंट की जेब में रख लिये। जिस पर उक्त व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए, उक्त व्यक्ति का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री सुरेश राम पुत्र श्री मंगलाराम जाति नाई उम्र 28 वर्ष निवासी दियावड़ी तहसील मूण्डवा जिला नागौर हाल प्राईवेट टाईपिस्ट तहसील खींवसर, जिला नागौर होना बताया। श्री सुरेश राम को परिवादी श्री पप्पू सिंह से रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में पूछा गया तो श्री सुरेश राम ने बताया कि मैने पटवारी श्री कुलदीप विश्नाई द्वारा फोन करके कहने पर इस व्यक्ति से रूपये लिये हैं। उक्त रूपये किस कार्य के लिए लिये हैं मुझे पता नहीं है। उक्त रूपये मेरी जेब में है, रिश्वत लेने की ताईद होने पर गवाह श्री पवन कुमार से आरोपी सुरेश राम के पहनी पेंट की बाईं जेब की तलाशी लिरवाई गयी तो 500–500 रूपये के नोट मिले, जिनका मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट से करवाया गया तो हुबहू वही नोट होना पाये गये। उक्त नोटों को गवाह श्री पवन कुमार के पास सुरक्षित रखवाया गया। ताबाद मन् पुलिस निरीक्षक मय आरोपी श्री सुरेश राम मय हमराह स्टाफ व स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी को साथ लेकर तहसील कार्यालय खींवसर के अन्दर पहुंचे जहां बरामदे में सामने से आ रहे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर परिवादी ने बताया कि यही कुलदीप विश्नोई पटवारी है जिसने अभी–अभी 12,000/– रूपये रिश्वत राशि के सुरेश राम को दिलवाये थे। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता ने उक्त व्यक्ति को रोककर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए, उक्त व्यक्ति का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री कुलदीप विश्नोई पुत्र श्री पाबूराम जाति विश्नोई उम्र 25 वर्ष निवासी चकढाणी, पुलिस थाना मेड़ता रोड़ जिला नागौर हाल पटवारी, पटवार मण्डल ढींगसरा, तहसील खींवसर, जिला नागौर होना बताया। श्री कुलदीप विश्नोई को परिवादी श्री पप्पू सिंह से रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में पूछा गया तो कुलदीप पटवारी ने बताया कि मैने पप्पू सिंह से कोई रिश्वत राशि नहीं ली है। पप्पू सिंह फसल खराबा मुआवजा दिलवाने हेतु कल मेरे से मिला था और जमीन से संबंधित दस्तावेज दिये थे। आज भी अभी–अभी मेरे से मिला था, लेकिन मैंने इनसे कोई रूपये नहीं लिये तथा ना ही सुरेश राम को देने हेतु कहा। श्री कुलदीप विश्नोई पटवारी के उक्त कथन पर परिवादी श्री पप्पू सिंह ने स्वतः ही बताया कि कल दिनांक 03.04.2023 को मैं पटवारी जी से मिला था तो मेरे पिताजी, ताउजी व चाचाजी के खेतों का फसल खराबा मुआवजा दिलाने के लिए 16,000/– रूपये रिश्वत की मांग की थी, मेरे निवेदन करने पर 12,000/– रूपये आज देना तय हुआ जो मैंने अभी–अभी पटवारी जी के कहेनुसार सुरेश राम को दिये थे। जिस पर सुरेश कुमार को पुनः पूछा गया तो बताया कि पटवारी श्री कुलदीप विश्नोई के कहने पर मैंने उक्त रूपये लिये थे। उक्त रूपये किस कार्य हेतु पटवारी जी ले रहे थे, मुझे जानकारी नहीं है। (नोट – तहसील कार्यालय खींवसर परिसर में भीड़भाड़ ज्यादा होने से आरोपीगणों को सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना खींवसर लेकर पहुंचे। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही थाना परिसर में बने स्वागत कक्ष में शुरू की गई।) गवाह श्री पवन कुमार के पास सुरक्षित रखवाये गये नोटों को निकलवाकर गिनवाये गये तो 500–500 रूपये के कुल 24 नोट राशि 12,000/– रूपये होना बताया। उपरोक्त सभी नोटों (12,000/–रूपये) को कागज की एक चिट में सील बन्द कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि को कब्जा एसीबी ली गई। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स में से दो कांच के साफ गिलासों में पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का प्रकियानुसार घोल तैयार किया गया। एक गिलास के उक्त रंगहीन घोल में आरोपी सुरेश राम के दाहिनें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा डालकर शिशियों को शिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः RH–1 व RH–2 अंकित किया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी सुरेश राम के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा डालकर शिशियों को शिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः LH–1 व LH–2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात एक कांच के साफ गिलास में पानी भरवाकर

सोडियम कार्बोनेट पाउडर का प्रक्रियानुसार घोल तैयार किया गया। गिलास के उक्त रंगहीन घोल में आरोपी सुरेश राम के पहनने हेतु दूसरी पेन्ट की व्यवस्था कर पहनी पेन्ट बरंग स्लेटी को उतरवाकर पेन्ट की बायीं जेब को उलट कर घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा डालकर शिशियों को सिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः P–1 व P–2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। पेन्ट बरंग स्लेटी की बायीं जेब को उलटकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत सिल्ड चिट कर मार्क ' S–1' अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी से कुलदीप विश्नोई पटवारी से परिवादी श्री पप्पू सिंह के पिताजी, ताउजी व चाचाजी के खेतों के फसल खराबा मुआवजा सम्बन्धी कागजात के बारे में पूछा गया तो आरोपी कुलदीप विश्नोई पटवारी ने बताया कि उक्त कागजात मेरे नागौर स्थित कमरे पर पड़े है, जिनको ऑनलाईन करना शेष है। उक्त दस्तावेजात को जरीये फर्द जब्ती अलग से जब्त किया जायेगा। इस प्रकार आरोपी श्री कुलदीप विश्नोई, पटवारी, पटवार मण्डल, ढिंगसरा, तहसील खींवसर, जिला नागौर द्वारा परिवादी श्री पप्पू सिंह के पिताजी, ताउजी व चाचाजी के खेतों में हुए फसल खराबे का मुआवजा दिलवाने की एवज में आरोपी कुलदीप विश्नोई पटवारी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न 16,000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग कर मांग के अनुशरण में 12,000/– रूपये रिश्वत राशि श्री सुरेश राम प्राईवेट टाईपिस्ट तहसील कार्यालय खींवसर को दिलवाने तथा आरोपी श्री सुरेश राम द्वारा पटवारी श्री कुलदीप विश्नोई के कहने पर परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने पर आरोपीगण श्री कुलदीप विश्नोई पुत्र श्री पाबूराम जाति विश्नोई उम्र 25 वर्ष निवासी चकढाणी, पुलिस थाना मेड़ता रोड़ जिला नागौर हाल पटवारी, पटवार मण्डल ढींगसरा, तहसील खींवसर, जिला नागौर व श्री सुरेश राम पुत्र श्री मंगलाराम जाति नाई उम्र 28 वर्ष निवासी दियावड़ी तहसील मूण्डवा जिला नागौर हाल प्राईवेट टाईपिस्ट तहसील खींवसर, जिला नागौर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7ए पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018 व 120बी भा.दं.सं. का जुर्म प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाने से श्री कुलदीप विश्नोई पटवारी व श्री सुरेश राम प्राईवेट टाईपिस्ट को जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर अलग–अलग फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की गई। परिवादी श्री पप्पू सिंह व उपस्थित स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी की निशांदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल अलग से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री पप्पू सिंह, स्वतंत्र गवाहान श्री पवन कुमार व श्री मनोज कुंकणा, गिरफ्तार सुदा आरोपीगण श्री कुलदीप विश्नोई पटवारी व श्री सुरेश राम मय ट्रेप दल के सदस्यों के जरीये सरकारी वाहन मय चालक श्री सुरेन्द्र सिंह व एक प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स व लेपटॉप, प्रिन्टर मय माल वजह सबूत के बाद ट्रेप कार्यवाही तहसील कार्यालय खींवसर से रवाना होकर उपस्थित चौकी हाजा आये। गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री कुलदीप विश्नोई पटवारी द्वारा संजय कॉलोनी, नागौर स्थित अपने किराये के कमरे से परिवादी के कार्य से संबंधित दस्तावेजात लेकर मन् पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत किये, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त दस्तावेजात को बाद अवलोकन जरीये फर्द जब्ती जब्त कर कब्जा एसीबी लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वॉयस रिकॉर्डर में दर्ज रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुनकर कम्प्यूटर से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा वॉयस रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रिकॉर्डर में दर्ज रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की दो डीवीडियां पृथक–पृथक बनवाई गई। ताबाद वॉयस रिकॉर्डर से मैमोरी कार्ड निकालकर कपड़े की थैली में डालकर शील्ड कर न्यायालय हेतु तथा वार्ता की दोनों डीवीडियां कागज के लिफाफे में बन्द कर आरोपी व अनुसंधान अधिकारी हेतु सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा वॉयस रिकॉर्डर में दर्ज पूर्व रिश्वत लेन–देन मोबाईल वार्ता को सुनकर कम्प्यूटर से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा वॉयस रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रिकॉर्डर में दर्ज पूर्व रिश्वत लेन–देन वार्ता की दो डीवीडियां पृथक–पृथक बनवाई गई। ताबाद वॉयस रिकॉर्डर से मैमोरी कार्ड निकालकर कपड़े की थैली में डालकर शील्ड कर न्यायालय हेतु तथा वार्ता की दोनों डीवीडियां कागज के लिफाफे में बन्द कर आरोपी व अनुसंधान अधिकारी हेतु सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा बरामद रिश्वत राशि 12,000/– रुपये, शील्ड शुदा धोवन की शिशियां मार्क RH–1 व RH–2, LH–1 व LH–2, P–1 व P–2, आरोपी श्री सुरेश राम की पेन्ट बरंग स्लेटी शील्ड शुदा मार्क S–1, वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड व आरोपी हेतु रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की एक डीवीडी, पूर्व रिश्वत लेन–देन मोबाईल वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड व आरोपी हेतु पूर्व रिश्वत लेन–देन मोबाईल वार्ता की एक डीवीडी, आरोपी कुलदीप विश्नोई की जामा तलाशी में मिला रेड़मी नोट 9 प्रो मैक्स कम्पनी का मॉडल M2003J6B1L मोबाईल बरंग काला मय सीम कार्ड नम्बर 9636643821 व 7878135218 तथा आरोपी सुरेश राम की जामा तलाशी में मिला OPPO A53 कम्पनी का मॉडल CPH2127 मोबाईल बरंग काला मय सीम कार्ड नम्बर 9649621679 व

7878778953 माल मालखाना प्रभारी श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि. 48 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही का समय–समय पर रनिंग नोट पृथक से तैयार किया गया।

उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री कुलदीप विश्नोई, पटवारी, पटवार मण्डल, ढिंगसरा, तहसील खींवसर, जिला नागौर द्वारा परिवादी श्री पप्पू सिंह के पिताजी, ताउजी व चाचाजी के खेतों में हुए फसल खराबे का मुआवजा दिलवाने की एवज में आरोपी कुलदीप विश्नोई पटवारी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न 16,000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग कर मांग के अनुशरण में 12,000/– रूपये रिश्वत राशि श्री सुरेश राम प्राईवेट टाईपिस्ट तहसील कार्यालय खींवसर को दिलवाने तथा आरोपी श्री सुरेश राम द्वारा पटवारी श्री कुलदीप विश्नोई के कहने पर परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने पर आरोपीगण श्री कुलदीप विश्नोई पुत्र श्री पाबूराम जाति विश्नोई उम्र 25 वर्ष निवासी चकढाणी, पुलिस थाना मेड़ता रोड़ जिला नागौर हाल पटवारी, पटवार मण्डल ढींगसरा, तहसील खींवसर, जिला नागौर व श्री सुरेश राम पुत्र श्री मंगलाराम जाति नाई उम्र 28 वर्ष निवासी दियावड़ी तहसील मूण्डवा जिला नागौर हाल प्राईवेट टाईपिस्ट तहसील खींवसर, जिला नागौर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7ए पी. सी. एक्ट (संशोधित) 2018 व 120बी भा.दं.सं. का जुर्म प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। अतः उपरोक्त आरोपीगण के विरूद्व उपरोक्त वर्णित धाराओं में अभियोग पंजीबद्व करनें हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक भ्रनिब्यूरो राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

भवदीय,

(नरेश चौहान)
निरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
नागौर

कार्यवाही पुलिस

दर्ज किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेश चौहान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री कुलदीप विश्नोई, पटवारी, पटवार मण्डल ढींगसरा, तहसील खींवसर, जिला नागौर एवं 2. श्री सुरेश राम पुत्र श्री मंगलाराम निवासी दियावड़ी तहसील मूण्डवा जिला नागौर हाल प्राईवेट टाईपिस्ट तहसील खींवसर, जिला नागौर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 74/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

5.4.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 593-96 दिनांक 5.4.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संख्या-1, जोधपुर।
2. जिला कलक्टर, नागौर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर।

5.4.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।